संख्या-1132/78-1-2016-25/2012टीसी-3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5- कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, आईआईटी कानपुर।
7- निदेशक, आईआईएम लखनऊ।
8- निदेशक, एनआईटी इलाहाबाद।
9- निदेशक, आईआईआईटी इलाहाबाद।
10- निदेशक, आई.टी. बी.एच.यू. वाराणसी।
11- समस्त राजकीय इन्जीनियरिंग संस्थान/महाविद्यालय, उ0प्र0।
12- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश स्थित इन्क्यूबेटर्स।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 19 अगस्त, 2016

विषयः-उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 के प्रस्तर संख्या-3.3.5 उत्तर प्रदेश में स्टार्ट अप संस्कृति तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-इन-उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016, प्रख्यापित की गई है।

2- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 के प्रस्तर संख्या-3.3.5 उत्तर प्रदेश में स्टार्ट-अप संस्कृति तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-इन-उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है कि राज्य सरकार द्वारा INFUSE model (INcubators – FUnd of Funds – Startup Entrepreneurs) मॉडल परिभाषित करते हुए स्टार्ट अप संस्कृति को बढ़ावा दिया जायेगा। सरकार द्वारा इन्क्यूबेटर्स तथा स्टार्ट अप को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3- इन्क्यूबेटर्स तथा स्टार्ट अप्स के लिए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016 के अन्तर्गत एक स्टार्ट अप कार्पस निधि (Start up Corpus Fund) का प्रारम्भ प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्टार्ट अप परितंत्र (Ecosystem) को सहायता देने के लिए इस कोष की प्रारम्भिक पूँजी रू0 100 करोड़ होगी तथा सशक्त समिति द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के अनुरूप, आवश्यकता एवँ मापनीयता के आधार पर सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तपोषण (additional funding) किया जायेगा। स्टार्ट अप इकाई को रू0 15,000/- प्रतिमाह एक वर्ष तक भरण-पोषण भत्ता (sustenance allowance) दिये जाने का प्राविधान है तथा स्टार्ट अप द्वारा किसी प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत एन्जेल इन्वेस्टर/वेन्चर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फण्ड/ प्रतिष्ठित इन्क्यूबेटर्स से न्यूनतम 25 प्रतिशत वित्तपोषण का आश्वासन प्राप्त कर लेने के बाद स्टार्ट अप को उसके उत्पाद/सेवाओं को बाजार में उतारने के लिए विपणन/व्यवसायीकरण सहायता के रूप में, वास्तविक लागत का 25 प्रतिशत अथवा रू0 10 लाख, जो भी कम हो, की सहायता प्रदान की जायेगी। उपरोक्त स्टार्ट-अप इकाइयों को भरण-पोषण भत्ता एवं विपणन/व्यवसायीकरण सहायता प्रदेश या भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत, प्रदेश में स्थित इन्क्यूबेटर में पंजीकृत होने के उपरान्त ही प्रदान की जायेगी। फण्ड ऑफ फण्ड्स मॉडल के अन्तर्गत निधि का निवेश स्टार्ट-अप कम्पनियों में सीधे न करके सेबी-अनुमोदित वेन्चर कैपिटल फण्ड/सेबी-अनुमोदित ऐन्जिल फण्ड अथवा प्रदेश या भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान में सूचीबद्ध ऐन्जिल फण्ड में सहभागिता के आधार पर किया जायेगा।

(अ) कार्पस निधि प्रबन्धन समिति का गठन

कार्पस निधि प्रबन्धन समिति की अध्यक्षता आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नामिती द्वारा की जायेगी। समिति की प्रस्तावित संरचना निम्नवत् होगी:-

1- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि।
2- वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि।
3- मेजबान (Host) संस्थान/टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर के प्रमुख।
4- बैंकर/वेन्चर कैपिटल के प्रतिनिधि।
5- शैक्षणिक क्षेत्र से विशेषज्ञ।
6- औद्योगिक क्षेत्र से विशेषज्ञ।
7- एक सफल उद्यमी।
8- निधि प्रबन्धक।

कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा उपरोक्त क्रमॉक 4 से 7 की श्रेणी के सदस्यों का एक पैनल बनाया जायेगा तथा इस पैनल से कार्पस निधि प्रबन्धन समिति में सदस्य नामित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार, निधि प्रबन्धकों की संख्या में भी वृद्धि की जा सकती है।

(ब) कॉपर्स निधि प्रबन्धन समिति के प्रमुख कार्य/भूमिकायें एवं दायित्व

- निधियाँ प्राप्त करने हेतु सुपात्र स्टार्ट-अप्स का चयन किया जाना।
- प्रत्येक चयनित स्टार्ट-अप्स को दी जाने वाली धनराशि का निर्धारण किया जाना।
  - अवधारणा/प्रतिकृति स्तर के स्टार्ट-अप्स (Idea/Prototype stage Star ups) को एक वर्ष की अवधि तक रू0 15,000/- प्रतिमाह का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा।
  - प्रायोगिक स्तर (Pilot Stage) वाली स्टार्ट-अप द्वारा किसी प्रतिष्ठित एवं पॅजीकृत एन्जेल इनवेस्टर/वेन्चर फण्ड/ प्रतिष्ठित इन्क्यूबेटर्स से 25 प्रतिशत वित्तपोषण सुनिश्चित कर लेने के बाद, स्टार्ट-अप को वास्तविक लागत का 25 प्रतिशत अथवा रू0 10 लाख जो भी कम हो, विपणन/व्यवसायीकरण सहायता के रूप में उसके उत्पाद/सेवाओं को बाजार में उतारने के लिए प्रदान की जायेगी।
- स्टार्ट-अप्स के कार्य-निष्पादन (Performance) और धनराशि के उपयोग का अनुश्रवण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- कॉपर्स की स्थिति के बारे में सशक्त समिति को त्रैमासिक आधार पर एम.आई.एस. की प्रस्तुति।
- समय-समय पर कापर्स फण्ड में वृद्धि हेतु संस्तुति एवं निवेश से सम्बन्धित समस्त कार्यकलाप इत्यादि।

4- उक्त प्रस्तर संख्या-3.3.5.1. इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन में व्यवस्था है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के शासकीय संस्थानों/संगठनों द्वारा इन्क्यूबेटर्स की स्थापना तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, प्रदेश में स्थित इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहित किया जायेगा। इन्क्यूबेटर्स को रू0 25 लाख की अधिकतम सीमा सहित आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट-अप के लिए 50 प्रतिशत तक पूँजीगत अनुदान, उनके परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि तक रू0 5 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता तथा रू0 2.00 लाख वार्षिक तक मानदेय के आधार पर परामर्शदाता/उपदेशक (mentors) की नियुक्ति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में पृथक शासनादेश संख्या 895/78-1-2016-25/2012 दिनांक 09 अगस्त 2016 निर्गत किया गया है।

5- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट-अप नीति-2016, में उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

5.1 मासिक भरण-पोषण भत्ता (Sustenance allowance) प्रदान किये जाने की प्रक्रिया

5.1.1 मासिक भरण-पोषण भत्ता स्वीकृति हेतु स्टार्ट-अप इकाई का आवेदन पंजीयन-प्रपत्र (अनुलग्नक-1) पर, इन्क्यूबेटर द्वारा अपनी संस्तुति (Letter of Recommendation) (अनुलग्नक-2) सहित, कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) को प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा पंजीयन-प्रपत्र, संस्तुति-पत्र तथा अन्य संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी। अतिरिक्त अभिलेख, यदि आवश्यक हो, कार्यदायी संस्था द्वारा मॉगे जाने पर, सम्बन्धित इन्क्यूबेटर द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

5.1.2 कार्यदायी संस्था द्वारा, प्रस्तुत आवेदन एवं अभिलेखों के परीक्षण/ सत्यापन के उपरान्त स्टार्ट-अप को मासिक भरण-पोषण भत्ता स्वीकृत किये जाने हेतु अपनी संस्तुति कॉपर्स निधि प्रबन्धन समिति के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

5.1.3 कॉपर्स निधि प्रबन्धन समिति के अनुमोदनोपरान्त स्टार्ट-अप को मासिक भरण-पोषण भत्ता स्वीकृत किये जाने विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। स्टार्ट-अप को भरण-पोषण भत्ता स्वीकृति से सम्बन्धित नियमों एवं शर्तों से स्टार्ट-अप तथा इन्क्यूबेटर को अवगत कराया जायेगा।

5.1.4 भरण- पोषण भत्ते हेतु उपयुक्त धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा इन्क्यूबेटर को उपलब्ध कराई जायेगी और भरण-पोषण भत्ते का भुगतान इन्क्यूबेटर द्वारा स्टार्ट-अप इकाई के बैंक खाते में धनराशि हस्तान्तरण द्वारा मासिक आधार पर किया जायेगा। इन्क्यूबेटर को प्रदत्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र इन्क्यूबेटर द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

5.1.5 इन्क्यूबेटर द्वारा स्टार्ट-अप इकाई की प्रगति आख्या अर्द्ध-वार्षिक आधार पर अथवा कार्यदायी संस्था द्वारा मॉगें जाने पर प्रस्तुत की जायेगी। प्रथम बार प्रगति आख्या, भरण-पोषण भत्ता प्राप्त होने से छह माह पूर्ण होने पर एवं द्वितीय प्रगति आख्या एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रस्तुत किया जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.2 स्टार्ट-अप को विपणन/व्यवसायीकरण (Marketing/Commericalization assistance) सहायता प्रदान किये जाने की प्रक्रिया

5.2.1 ऐसी स्टार्ट-अप इकाई, जिसने अपना उत्पाद/सेवा प्रायोगिक चरण (Pilot Stage) पर बाजार में उतारी हो, तथा प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत एन्जेल इन्वेस्टर/वेन्चर फण्ड/प्रतिष्ठित इन्क्यूबेटर्स से परियोजना लागत के विरुद्ध कुल वित्तपोषण आवश्यकता के सापेक्ष कम से कम 25 प्रतिशत वित्तपोषण की वचनबद्धता सुनिश्चित कर ली हो, विपणन/व्यवसायीकरण हेतु वास्तविक लागत के 25 प्रतिशत अथवा रू 10 लाख जो भी कम हो, की सहायता हेतु आवेदन किया जा सकेगा।

5.2.2 स्टार्ट-अप द्वारा अपनी व्यवसाय-योजना सम्बन्धित इन्क्यूबेटर को प्रस्तुत करनी होगी कि उसके द्वारा विपणन/व्यवसायीकरण सहायता का उपयोग, चरणबद्ध रूप से किस प्रकार किया जायेगा। व्यवसाय-योजना को इन्क्यूबेटर द्वारा परीक्षणोपरान्त, आवश्यक अभिलेखों- अनुलग्नक 1 एवं अनुलग्नक 3 सहित कार्यदायी संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

5.2.3 कार्यदायी संस्था द्वारा पंजीयन-प्रपत्र तथा अन्य संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी। अतिरिक्त अभिलेख, यदि आवश्यक हो, कार्यदायी संस्था द्वारा मांगे जाने पर, इन्क्यूबेटर द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

5.2.4 स्टार्ट-अप द्वारा प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत एन्जेल इन्वेस्टर/वेन्चर फण्ड/प्रतिष्ठित इन्क्यूबेटर्स से कम से कम 25 प्रतिशत वित्तपोषण किये जाने सूचक आशय-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

5.2.5 कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं अभिलेखों के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त स्टार्ट-अप को विपणन/व्यवसायीकरण सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु अपनी संस्तुति कॉपर्स निधि प्रबन्धन समिति के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

5.2.6 कॉपर्स निधि प्रबन्धन समिति के अनुमोदनोपरान्त स्टार्ट-अप को विपणन/व्यवसायीकरण सहायता स्वीकृत किये जाने विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। स्टार्ट-अप को विपणन/व्यवसायीकरण सहायता स्वीकृति से सम्बन्धित नियमों एवं शर्तों से स्टार्ट-अप तथा इनक्यूबेटर को अवगत कराया जायेगा।

5.2.7 विपणन/व्यवसायीकरण सहायता हेतु उपयुक्त धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा इन्क्यूबेटर को उपलब्ध कराई जायेगी। इन्क्यूबेटर को प्रदत्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र इन्क्यूबेटर द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

5.2.8 स्टार्ट-अप को अपना उत्पाद/सेवा बाजार में उतारने हेतु विपणन/व्यवसायीकरण सहायता इन्क्यूबेटर द्वारा तीन चरणों में, इकाई के प्रगति की अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा के प्रतिबन्ध के साथ वितरित (Disburse) की जायेगी। प्रत्येक चरण में वितरित की जाने वाली धनराशि का निर्धारण स्टार्ट-अप की आवश्यकता पर निर्भर होगा।

5.2.9 प्रत्येक चरण की समाप्ति पर स्टार्ट-अप द्वारा इन्क्यूबेटर को प्रगति आख्या प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा एवं स्टार्ट-अप द्वारा प्रगति आख्या के साथ प्रत्येक चरण में 70 प्रतिशत व्यय की गई धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.3 फण्ड ऑफ फण्ड्स (Fund of Funds) मॉडल के अन्तर्गत स्टार्ट-अप कॉपर्स फण्ड के निवेश की प्रक्रिया

5.3.1 उत्तर प्रदेश में इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्ट-अप्स को संगठित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चरणों में रू 100 करोड़ की प्रारम्भिक पूँजी से एक स्टार्ट-अप कॉपर्स फण्ड बनाया जायेगा। सशक्त समिति द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के अनुरूप, आवश्यकता एवँ मापनीयता के आधार पर शासन द्वारा अतिरिक्त वित्तपोषण (additional funding) किया जायेगा।

5.3.2 यह स्टार्ट-अप कॉपर्स फण्ड, फण्ड ऑफ फण्ड्स (Fund of Funds) के रूप में होगा। इस मॉडल के अन्तर्गत कॉपर्स फण्ड को डॉटर फण्ड्स में विभाजित किया जायेगा तथा फण्ड का निवेश स्टार्ट-अप कम्पनियों में सीधे न करके "डॉटर फण्ड्स" (Daughter Funds) में किया जायेगा, जिनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र में मौलिक परिकल्पना/प्रौद्योगिकी वाली उत्तर प्रदेश में परिचालनरत स्टार्ट-अप इकाइयों में निवेश किया जायेगा।

5.3.3 उदाहरणतः निम्न-चित्र स्टार्ट-अप कॉपर्स के कार्य-सम्पादन की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है:-

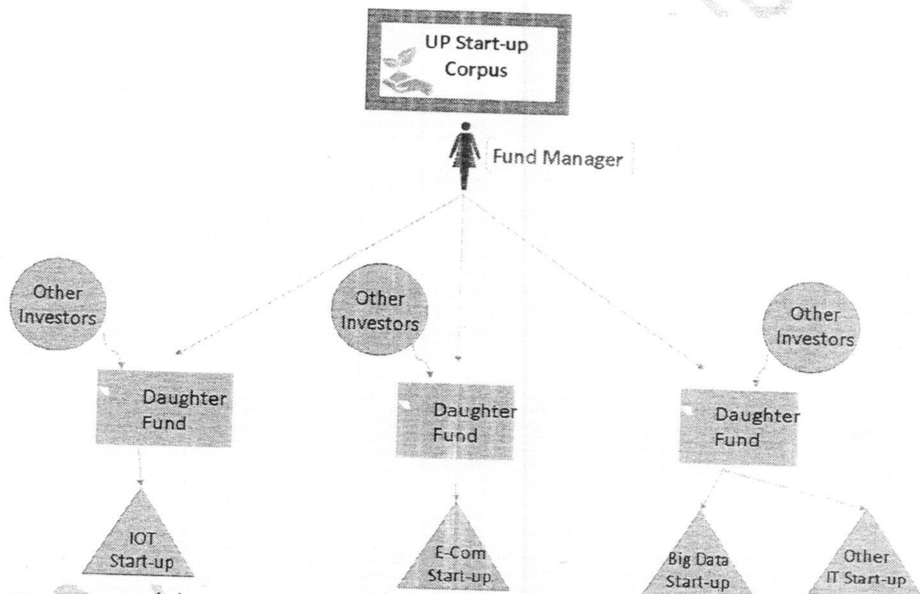

5.3.4 डॉटर फण्ड्स का पेशेवराना प्रबन्धन (professionally managed), निधि प्रबन्धक (Fund Manager) द्वारा किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु SIDBI, Canbank Venture, सेबी द्वारा अनुमोदित वेन्चर फण्ड/एन्जेल फण्ड इत्यादि को कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा चयन किया जायेगा।

5.3.5 डॉटर फण्ड कॉपर्स का आकार बाजार की आवश्यकताओं तथा निधियों की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु निधि प्रबन्धक की क्षमताओं पर निर्भर होगा (The Corpus of the Daughter Fund(Fund Size) may be determined by market requirements and the capacity of the Fund Manager to cater to the requirements of fund)। सीमित-साझीदार होने के कारण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डॉटर फण्ड में एक अल्प सहभागिता यथा 25 प्रतिशत तक सहभागिता की जायेगी। बाकी का निवेश अन्य निवेशकों द्वारा पूर्ण (Pool-in) किया जायेगा।

5.3.6 निधियों की प्राप्ति (Raising of Funds), उसके निवेश तथा वैयक्तिक निवेश के अनुश्रवण का पूर्ण उत्तरदायित्व डॉटर फण्ड के निधि प्रबन्धक का होगा। डॉटर फण्ड के निधि प्रबन्धक द्वारा यह

सुनिश्चित किया जायेगा कि डॉटर फण्ड की स्थापना और उसके संचालन हेतु भारतीय कानूनों का अनुपालन किया जाये। यदि डॉटर फण्ड में कोई विदेशी निवेश है तो भारतीय रिजर्व बैंक/ Foreign Investment Promotion Board की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5.3.7 उत्तर प्रदेश शासन से निधियों (Funds) की आवश्यकता होने पर निधि प्रबन्धक द्वारा, उ0प्र0 शासन की प्रस्तावित निवेश वचनबद्धता के लिए कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) से आग्रह किया जायेगा। कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा अपनी संस्तुति कॉपर्स फण्ड प्रबन्धन समिति के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

5.3.8 उत्तर प्रदेश शासन की वचनबद्धता सुनिश्चित हो जाने के पश्चात निधि प्रबन्धक द्वारा डॉटर फण्ड के लिए अन्य निवेशकों से निवेश प्राप्त किया जायेगा। डॉटर फण्ड के लिए सम्पूर्ण परिलक्षित धनराशि (अथवा उसके भाग) के लिए

निवेशकों की वचनबद्धता प्राप्त कर लेने के उपरान्त निधि प्रबन्धक द्वारा, शासन सहित, सभी निवेशकों के साथ विधिक रूप से बाध्यकारी अनुबन्ध निष्पादित किये जायेंगे।

5.3.9 तत्पश्चात स्टार्ट-अप कॉपर्स फण्ड से वास्तविक रूप से आनुपातिक आधार पर निधियाँ (Funds) प्राप्त की जायेंगी।

5.3.10 निधि प्रबन्धक को उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं हेतु शासन द्वारा प्रबन्धन शुल्क (management fees) का भुगतान किया जायेगा। निधि प्रबन्धक द्वारा शासकीय निवेश पर एक निश्चित दर (Hurdle Interest) से प्रतिफल सुनिश्चित करना होगा।

5.3.11 निधि प्रबन्धक द्वारा डॉटर फण्ड के कार्यकलापों/प्रगति तथा निवेश के महत्वपूर्ण पक्षों को दर्शाते हुए एक व्यापक समीक्षा आख्या कॉपर्स फण्ड प्रबन्धन समिति को अर्द्ध-वार्षिक आधार पर अथवा माँगे जाने पर प्रस्तुत की जायेगी। निधि प्रबन्धक द्वारा सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate)/व्ययों का विवरण (Statement of Expenditure) कॉपर्स फण्ड प्रबन्धन समिति को वार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

5.3.12 डॉटर फण्ड से बाहर निकलना (**Exit from Daughter Funds**): डॉटर फण्ड से निकलने के दौरान निधि प्रबन्धक द्वारा वित्तीय लेखे तैयार किये जायेगे एवं समस्त पूर्णता रिपोर्ट्स, सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्ययों का विवरण इत्यादि शासन/कार्यदायी संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा। निधि प्रबन्धक, डॉटर फण्ड द्वारा debt या equity realization/ liquidation की proceeds को वापस कॉपर्स फण्ड में अभिदान कर देगा।

5.4 स्टार्ट-अप इकाई के दायित्व

प्रोत्साहन धनराशियों की प्राप्ति के लिए स्टार्ट-अप इकाई द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा, जो आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें इन्क्यूबेटर/कार्यदायी संस्था/नीति कार्यान्वयन इकाई/कॉपर्स निधि प्रबन्धन समिति/आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

5.5 स्टार्ट-अप्स द्वारा निम्नलिखित कार्य-क्षेत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया जायेगा:-

1. मोबाईल एवं सूचना प्रौद्योगिकी।
2. इन्टरनेट से जुड़े कार्य, ई-कॉमर्स ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन/वीएलएसआई डिजाइन।

4. सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में कोई मौलिक परिकल्पना/प्रौद्योगिकी।

5.6 प्रोत्साहन अवधि

शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर, अनुदान अनुमन्य होगा।

5.7 सूचना प्रौद्योगिकी नीति के प्रोत्साहनों की अनुमन्यता

स्टार्ट-अप इकाइयों के सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र कम्पनी के रूप में विकसित हो जाने पर, उत्तर प्रदेश में अपनी इकाई स्थापित करने उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 के समस्त प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।

5.8 आच्छादन

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

5.9 परिभाषायें

एतद्द्वारा संलग्न, अनुलग्नक-4 के अनुसार।

5.10 न्यायालय का क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

5.11 प्रोत्साहन अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड

स्टार्ट-अप इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि उसके द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1132(1)/78-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

4- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।

6- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन ।

8- कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

9- निदेशक, उद्योग कानपुर, उत्तर प्रदेश।

10- प्रमुख सचिव/विशेष सचिव (एन/भू), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन ।

11- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक–1
Annexure -1

स्टार्ट–अप आवेदन प्रपत्र

STARTUP APPLICATION FORM

उ0प्र0 ... एवं स्टार्ट अप नीति–2016

UP IT ... Policy 2016

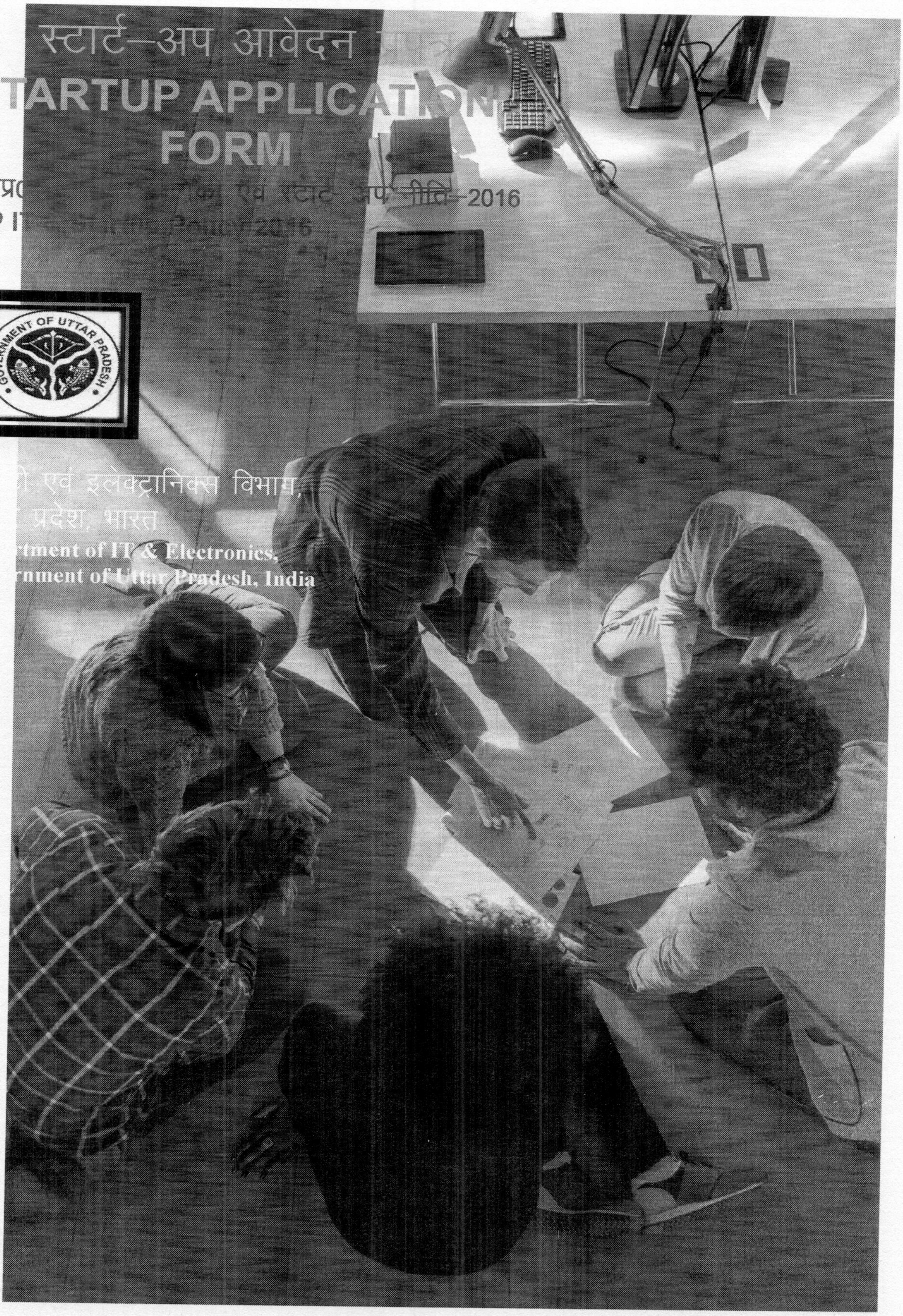

...टी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
... प्रदेश, भारत

...rtment of IT & Electronics,
...rnment of Uttar Pradesh, India

स्टार्ट–अप संस्था का विवरण *Details of Start-up) :*

स्टार्ट–अप संस्था का नाम *Name of Start-up) :*

पता *Address :*

पिन कोड *PIN Code :*

दूरभाष / फैक्स *Telephone/Fax:*

वेबसाइट *Website:*

पॅजीकृत है (हॉ / नहीं) *Registered (Yes/No):*

निगमन / पंजीयन क्रमॉक एवं तिथि *Incorporation / Registration No and Date:*

पैन *PAN :*

टैन *TAN:*

(पंजीयन न होने की स्थिति में स्टार्ट–अप को नीति के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान अथवा प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होंगे। स्टार्ट–अप को अपनी स्थापना से 6 माह की अवधि में पंजीयन कराना आवश्यक है।)

(In case of non-registration, the start-up cannot avail the grant or incentives provided under the policy. The start-ups have to mandatorily register within 6 months of establishment)

स्टार्ट–अप संस्था का स्वरूप *Nature of Start-up:*

- प्राइवेट लिमिटेड *Private Ltd:*
- सीमित दायित्व भागीदारी *Limited Liability Partnership:*
- पंजीकृत भागीदारी *Registered Partnership:*
- अन्य, कृपया स्पष्ट करें *Others, please specify:*

संस्था की अवस्था *Stage of Entity:*

संस्था का मुख्य कार्यक्षेत्र *Entity Focus Area*

- मोबाईल एवं सूचना प्रौद्योगिकी *Mobile and Information Technology:*
- इन्टरनेट से जुड़े कार्य, ई–कॉमर्स *Internet of things, e-Commerce:*
- इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन / वीएलएसआई डिजाइन *Electronics design/VLSI design:*
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में कोई मौलिक परिकल्पना / प्रौद्योगिकी *Any innovative ideas/technologies in IT & Electronics sector:*
- अन्य, कृपया स्पष्ट करें *Others, please specify:*

इन्क्यूबेटर का विवरण ***Incubator details***

इन्क्यूबेटर का नाम, जहाँ पर स्टार्ट–अप स्थित है
Name of Incubator in which Start-up is hosted:

इन्क्यूबेशन–अवधि *Duration of Incubation period:*

इन्क्यूबेशन के प्रमुख का सम्पर्क नम्बर *Contact number of Head of Incubator:*

इन्क्यूबेशन के प्रमुख का ई–मेल *Email id of Head of Incubator:*

इन्क्यूबेशन के बैंक खाते का नम्बर *Bank Account number of Incubator:*

आई.एफ.एस.सी. कोड *IFSC Code*

प्रदत्त सेवा का विहगावलोकन ***Offering Overview***

आप किस प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं *What is your offering:*

आप द्वारा दी गई सेवा किस कठिनाई / बिन्दु का निराकरण देती है
What is the issue/pain point that your offering addresses:

आप द्वारा दी गई सेवा 'अन्य उपलब्ध विकल्पों' से किस प्रकार भिन्न है
How is your offering different from the 'available alternatives'?

प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति ***Competitive landscape***

बाजार में अवसरों की क्या स्थिति है *What is market opportunity?*

आपके वर्तमान प्रतिस्पर्द्धी कौन है *Who are your existing competitors?*

कार्य की स्थिति ***Status of Work***

आपकी कार्यशैली का मॉडल / प्रतिकृति *What is your model/working prototype?*

आपकी राजस्व आय / लागत अनुमानों का विवरण
Details about your Revenue/cost projections?

आपके राजस्व मॉडल और उसके विकास की रणनीति
What is your revenue model and scale up strategy?

आपके दल के प्रमुख सदस्य *Key Team Members*

निदेशकों / प्रवर्तकों के नाम *Name of each Directors/ Promotors:*

निदेशकों / प्रवर्तकों की प्रोफाइल *Profile of each Directors/Promotors:*

निदेशकों / प्रवर्तकों के मोबाइल नॅ0 *Mobile No of each Directors/Promotors:*

निदेशकों / प्रवर्तकों के ई–मेल पते *Email id of Directors/Promotors:*

निदेशकों / प्रवर्तकों के अतिरिक्त अन्य कितने कर्मी आपकी स्टार्ट–अप से सम्बद्ध हैं
How many employees are involved in the Start-up other than the Directors/ Promotors?

अन्य उद्यम (पूर्व अनुभव) *Other venture (past experience)*

किसी स्टार्ट–अप उद्यम के संचालन का पूर्व अनुभव होने की स्थिति में कृपया निम्न विवरण प्रदान करें
In case of any past experience in floating a start-up venture, please provide the following details

- नाम *Name*
- समयावधि *Time Period*
- मुख्य व्यवसाय क्षेत्र *Business Focus*
- वित्त–पोषण इतिहास *Funding History*
- अन्य कोई विवरण *Any other Details*

पॅजीकृत बौद्धिक सम्पदा *Registered Intellectual Property*

आपके पास क्या संस्था से सम्बन्धित कोई पंजीकृत बौद्धिक सम्पदा है
Do you have a registered intellectual property related to the entity? :

- पेटेन्ट की प्रकृति *Patent Type* :
- पेटेन्ट कमॉक *Patent Number* :
- पेटेन्ट भूगोल *Patent Geography*:

वित्त पोषण का इतिहास, निवेशक तथा अंशपूॅजी ढॉचा *Fund raising history, Investors and Equity Structure*

संस्था में किसके द्वारा निवेश किया गया *Who has invested in this Start-up*	निवेशक का नाम *Name of Investor*	सम्पर्क हेतु विवरण (ई–मेल तथा फोन नॅं) *Contact Details (email & phone No)*	इनके द्वारा अभी तक कितना निवेश किया गया है *How much have they invested so far?*	भविष्य में इनके द्वारा कितना निवेश किये जाने की योजना है *How much do they plan to invest in future?*
• बूटस्ट्रैप *Boot Strapped*				
• एन्जेल इनवेस्टर *Angel Venstors*				
• वेन्चर कैपिटल *Venture Capital*				
• इन्क्यूबेटर *Incubator*				
• अन्य, कृपया स्पष्ट करें *Others, please specify*				

अधिकृत पूॅजी *Authorized Capital*

अंशक / अंशपूॅजी वितरण *Share/Equity Distribution:*

बैंक का विवरण *Bank Details*

स्टार्ट–अप संस्था का खाता कमॉक
Account number of start-up entity

आई.एफ.एस.सी. कोड *IFSC Code*

कृपया एक निरस्त चेक संलग्न करें *Please provide copy of cancelled Cheque*

- संस्था के बैंक खाते का विवरण उपलब्ध करायें, न कि वैयक्तिक बैंक खाते का
- *Details of the Bank Account in the name of Startup and not individual A/c No*

प्रगति आख्या प्रस्तुतिकरण **Progress Report Submission**			
क्रम सॅख्या *Sl No*	वॉछित आर्थिक सहायता *Financial Assistance sought*	चाही गई है (हॉ/नही) *Sought (Yes/No)*	धनराशि *Amount*
1	मासिक भरण पोषण भत्ता रु 15000/– *Monthly Sustenance Allowance of INR 15,000*	(हॉ/नही) *(Yes/No)*	
2	विपणन/ व्यवसायीकरण सहायता *Marketing/ Commercialization Assitance*	(हॉ/नही) *(Yes/No)*	

संलग्न अभिलेख *Document Submission*

कृपया निम्नलिखित अभिलेख (जैसा कि लागू हो), इस प्रपत्र के साथ संलग्न करें
Please submit the following documents along with this form(as applicable)

- स्टार्ट–अप के निदेशकों/प्रवर्तकों की प्रोफाइल *Profile of each Directors/ Promotors of Start-up*
- हानि लाभ लेखे *P&L Accounts*
- निवेशक के साथ समझौता–ज्ञापन *MoU from Investor*
- किसी प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत एन्जेल इन्वेस्टर/ वेन्चर फण्ड/ प्रतिष्ठित इन्क्यूबेटर्स से न्यूनतम 25 प्रतिशत वित्तपोषण (*Funding*) का आशय–पत्र *Letter of Intent from reputed and Registered Angel Investor/ Venture Fund/ Reputed Incubators for securing minimum 25% Funding*
- इन्क्यूबेटर द्वारा स्टार्ट–अप को भरण–पोषण भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में प्रदत्त संस्तुति–पत्र (अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर) *Letter of Recommendation from Incubator for Sustenance allowance to Start-up (in the prescribed format in Annexure 2)*
- इन्क्यूबेटर द्वारा प्रदत्त विपणन/व्यवसायीकरण सहायता के उपयोग के सम्बन्ध में संस्तुति–पत्र (अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर) *Letter of Recommendation from Incubator for utilization of Marketing/ Commercialization assisntace (in prescribed format in Annexure 3)*

मैं सत्यापित करता हूँ कि हमारी स्टार्ट–अप
I certify that our Start-up

अ) भारत में निगमित अथवा पंजीकृत है, किन्तु 5 वर्ष से पूर्व नहीं
a) Has been incorporated or registered in India not prior to five years
ब) उत्तर प्रदेश में पंजीकृत है/कराई जायेगी
b) is/ shall be registered in Uttar Pradesh

स) प्रौद्योगिकी अथवा बौद्धिक सम्पदा के माध्यम से नवीन उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के नव–प्रवर्तन, विकास, प्रविस्तारण अथवा व्यवसायीकरण हेतु कार्यरत है तथा

c) *is working towards innovation ,development, deployment or commercialization of new products, processes or services driven by technology or intellectual property; and*

द) संस्था का गठन पूर्व से विद्यमान किसी व्यवसाय के विघटन अथवा पुनर्संरचना के कारण नहीं है।

d) *has not formed the entity by splitting up or reconstruction of a business already in existence*

दिनॉक
Date

निदेशक / प्रवर्तक का हस्ताक्षर
Signature of Director/Promotor/

इन्क्यूबेटर के प्रमुख / समन्वयक का प्रतिहस्ताक्षर
Counter signature of Head/Co-ordinator of Incubator

पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन–पत्र हस्ताक्षर एवं मुहर सहित तथा संस्तुति–पत्र के साथ कार्यदायी संस्था – यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, 10–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001 (दूरभाषः 0522–2286808 / 809, ई–मेल : info@itpolicyup.gov.in) को प्रेषित करें

The duly filled-in, signed and stamped Application form alongwith the Recommendation letter should be submitted to UP Electronics Corporation Ltd, 10-Ashok Marg, Lucknow (Ph: 0522-2286808/ 809, e-mail: info@itpolicyup.gov.in)

अनुलग्नक–2
Annexure -2

इन्क्यूबेटर द्वारा संस्तुति–पत्र का प्रारूप
Format of the Recommendation Letter from Incubator

(इन्क्यूबेटर के लेटर हेड पर)
<<Letter Head of the Incubator>>

संस्तुति–पत्र
Recommendation Letter

मैंने (1).. (2) .... (3) .... श्री (4) .... (5) .... (6) .... के व्यवसाय को विधिमान्य किये जाने के उनके अनुरोध का परीक्षण किया है और सम्यक परीक्षण उपरान्त मेरी संस्तुति है कि आवेदक द्वारा किया जा रहा व्यवसाय नव–प्रवर्तन प्रकृति का है, अतएव उसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति–2016 के अनुरूप स्टार्ट–अप की परिभाषा से आच्छादित स्वीकार किया जाये। यह स्टार्ट–अप (7) .... के इन्क्यूबेटर में पंजीकृत है, अतः अवधारणा/प्रतिकृति स्तर पर उसे रु 15000/– प्रतिमास भरण–पोषण भत्ता प्रदान किये जाने पर विचार किया जाये।

I, ____<1>____, in my capacity as ____<2>__ of__<3>__ , have examined the request of__<4>___ ,__<5>__of __<5>___ to validate the nature of business and after due examination, I recommend that the business being pursued by the applicant is innovative in nature and may therefore be considered as a business covered under the definition of Startup as per Uttar Pradesh IT& Start-up Policy 2016. The start-up is registered in the Incubator of ___<7>___and therefore, be considered for giving a monthly sustenance allowance of INR15,000 per month at the idea/prototype stage.

(संस्तुतिकर्ता का हस्ताक्षर)
(Signature of the Recommender)
संस्तुतिकर्ता का नाम (8)
Name of Recommender: <8>
संस्तुतिकर्ता का पदनाम (9)
Designation of Recommender: <9>

तिथिः (10) Date: <10>
स्थानः (11) Place: <11>

संस्तुति दिये जाने हेतु दिशा–निर्देश इस प्रारूप के अनुलग्नक 2(अ) पर दिये गये हैं।
The guidelines for the recommendation are provided in the annexure (2a) to this letter

अनुलग्नक–3
Annexure -3

मेन्टर द्वारा संस्तुति–पत्र का प्रारूप
Format of the Recommendation Letter from Mentor

(इन्क्यूबेटर के लेटर हेड पर)
<<Letter Head of the Incubator>>

संस्तुति–पत्र
Recommendation Letter

मैंने (1).. (2) .... (3) .... श्री (4) .... (5) .... (6) .... के व्यवसाय को विधिमान्य किये जाने के उनके अनुरोध का परीक्षण किया है और सम्यक परीक्षण उपरान्त मेरी संस्तुति है कि आवेदक द्वारा किया जा रहा व्यवसाय नव–प्रवर्तन प्रकृति का है, अतएव उसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति–2016 के अनुरूप स्टार्ट–अप की परिभाषा से आच्छादित स्वीकार किया जाये। यह स्टार्ट–अप (7) .... के इन्क्यूबेटर में पंजीकृत है, अतः अवधारणा/प्रतिकृति स्तर पर उसे रु 15000/– प्रतिमास भरण–पोषण भत्ता प्रदान किये जाने पर विचार किया जाये।

I, __<1>__ , in my capacity as ___<2>___ of__<3>__ , have examined the request of___<4>___ ,__<5>__of __<6>___ to validate the nature of business and after due examination, I recommend that the business being pursued by the applicant is innovative in nature and may therefore be considered as a business covered under the definition of Start-up as per Uttar Pradesh IT& Start-up Policy 2016. The start-up is registered in the Incubator of ___<6>___and therefore, be considered for giving a monthly sustenance allowance of INR15,000 per month at the idea/prototype stage.

(संस्तुतिकर्ता का हस्ताक्षर)
(Signature of the Recommender)
संस्तुतिकर्ता का नाम (8)
Name of Recommender: <8>
संस्तुतिकर्ता का पदनाम (9)
Designation of Recommender: <9>

तिथिः (10) Date: <10>
स्थानः (11) Place: <11>

संस्तुति दिये जाने हेतु दिशा–निर्देश इस प्रारूप के अनुलग्नक 2(अ) पर दिये गये हैं।
The guidelines for the recommendation are provided in the annexure (2a) to this letter

अनुलग्नक–4

परिभाषायें

- ''वर्ष का तात्पर्य दिनॉक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।
- ''कार्यदायी संस्था'' अथवा ''नोडल एजेन्सी'' का तात्पर्य शासन द्वारा शासनादेश के माध्यम से ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016'' के अन्तर्गत नामित कार्यदायी संस्था/नोडल एजेन्सी से है। शासन द्वारा यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोशन लि0 को ''कार्यदायी संस्था/नोडल एजेन्सी'' नामित किया गया है।
- नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016 के प्रस्तर 3.4.1 में पारिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।
- स्टार्ट–अप (Start-Up) : निम्न शर्तों की पूर्ति करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा संस्था (entity) को स्टार्ट–अप (Start-Up) की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगाः–

क) अपने निगमन/पॅजीयन की तिथि से 5 वर्ष तक

ख) संस्था (entity) उत्तर प्रदेश में पॅजीकृत हो

ग) वह प्रौद्योगिकी (technology) अथवा बौद्धिक सम्पदा (intellectual property) द्वारा चालित नये उत्पादों, प्रक्रियाओं (processes) अथवा सेवाओं के व्यवसायीकरण (commercialization) के लिए किसी नवाचार (innovation), विकास, फैलाव (deployment) हेतु कार्यरत हो।

घ) प्रतिबन्ध यह होगा कि पहले से विद्यमान किसी व्यवसाय के विभाजन अथवा पुनर्निमाण के फलस्वरूप बनी किसी संस्था (entity) को स्टार्ट–अप (Start-Up) नहीं माना जायेगा।

- संस्था (entity) से आशय (कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत यथापारिभाषित) किसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, अथवा (साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अन्तर्गत) पंजीकृत एक साझेदारी फर्म अथवा (लिमिटेड लाइबिलिटी साझेदारी अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत) लिमिटेड लाइबिलिटी साझेदारी फर्म से है।